न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(बइजलास गितेश श्री मालवीया, आर.ए.एस.)

(1) पंचायत निगरानी संख्याः 105/2020

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही
2. शिल्पा पत्नी श्री प्रवीण कुमार, जाति- पुरोहित, निवासी-वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा

(2) पंचायत निगरानी संख्याः 109/2020

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही
2. अमीयादेवी पत्नी मगाराम जी, जाति-घांची, निवासी-वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा

(3) पंचायत निगरानी संख्याः 110/2020

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही
2. जशोदा देवी पत्नी रुपाराम, जाति-घांची, निवासी-वाटेरा, तह.पिण्डवाडा, जिला-सिरोही

(4) पंचायत निगरानी संख्याः 117/2020

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही
2. गीतादेवी पत्नी वजारामजी, जाति-घांची, निवासी-वाटेरा, तह. पिण्डवाडा, जिला-सिरोही

(5) पंचायत निगरानी संख्याः 120/2020

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, [illegible], जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सि[illegible]
2. छोगी देवी पत्नी वजारामजी, जाति-[illegible]पत, निवासी-वाटेरा, तह[illegible]ण्डवाडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:10:15 IST
Reason: SelfAttested

.....पेज दो

जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

(6) <u>पंचायत निगरानी संख्याः 125/2020</u>

<u>प्रार्थी</u>

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही

बनाम

<u>अप्रार्थी</u>

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही
2. भागुदेवी पत्नी जमानीगंजी, जाति-पुरोहित,निवासी-वाटेरा, तह. पिण्डवाडा, जिला-सिरोही

(7) <u>पंचायत निगरानी संख्याः 126/2020</u>

<u>प्रार्थी</u>

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही

बनाम

<u>अप्रार्थी</u>

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही
2. उषादेवी पत्नी सुरेशकुमार, जाति-पुरोहित, निवासी-वाटेरा, तह.पिण्डवाडा, जिला-सिरोही

(8) <u>पंचायत निगरानी संख्याः 128/2020</u>

<u>प्रार्थी</u>

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही

बनाम

<u>अप्रार्थी</u>

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही
2. रेखादेवी पत्नी मनाराम, जाति- माली, निवासी- वाटेरा, तह. पिण्डवाडा, जिला-सिरोही

(9) <u>पंचायत निगरानी संख्याः 132/2020</u>

<u>प्रार्थी</u>

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही

बनाम

<u>अप्रार्थी</u>

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही
2. दयादेवी पत्नी कन्हैयालाल, जाति-अग्रवाल, निवासी-वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा

(10) <u>पंचायत निगरानी संख्याः 140/2020</u>

<u>प्रार्थी</u>

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही

बनाम

<u>अप्रार्थी</u>

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही
2. बदामीदेवी पत्नी [illegible]जी, जाति-मा[illegible] निवासी-वाटेरा, तह.पिण्डवाडा, जिला-सिरोही

....पेज तीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:10:15 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

(11) **<u>पंचायत निगरानी संख्या: 145/2020</u>**

<u>प्रार्थी</u>

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही

बनाम

<u>अप्रार्थी</u>

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही
2. रेखादेवी पत्नी रमेशकुमार, जाति-घांची, निवासी-वाटेरा, तह. पिण्डवाडा, जिला-सिरोही

(12) **<u>पंचायत निगरानी संख्या: 146/2020</u>**

<u>प्रार्थी</u>

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही

बनाम

<u>अप्रार्थी</u>

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही
2. दिवाली देवी पत्नी मोताराम, जाति-घांची, निवासी-वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा

(13) **<u>पंचायत निगरानी संख्या: 153/2020</u>**

<u>प्रार्थी</u>

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही

बनाम

<u>अप्रार्थी</u>

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही
2. पुष्पादेवी पत्नी किशोरकुमार, जाति- प्रजापत, निवासी-वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा

(14) **<u>पंचायत निगरानी संख्या: 154/2020</u>**

<u>प्रार्थी</u>

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही

बनाम

<u>अप्रार्थी</u>

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही
2. विमलादेवी पत्नी मुकेश कुमार, जाति-प्रजापत, निवासी- वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा

(15) **<u>पंचायत निगरानी संख्या: 155/2020</u>**

<u>प्रार्थी</u>

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही

बनाम

<u>अप्रार्थी</u>

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही
2. लक्ष्मीदेवी पत्नी वागाराम, जाति-[illegible], निवासी-वाटेरा, तह. पिण्डवाडा, जिला-सिरोही.

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:10:15 IST
Reason: SelfAttested

(16) **<u>पंचायत निगरानी संख्या: 157/2020</u>**

<u>प्रार्थी</u>

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही

.....पेज चार

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही
2. सज्जन कुंवर पत्नी बलवीर सिंह, जाति- राजपूत, निवासी-वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा

(17) **पंचायत निगरानी संख्या: 158/2020**

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही
2. धर्मी देवी पत्नी जोधाजी, जाति-घांची, निवासी-वाटेरा, तह. पिण्डवाडा, जिला-सिरोही

(18) **पंचायत निगरानी संख्या: 159/2020**

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही
2. मंजूदेवी पत्नी प्रकाशकुमार, जाति-घांची, निवासी-वाटेरा, तह. पिण्डवाडा, जिला-सिरोही

(19) **पंचायत निगरानी संख्या: 163/2020**

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, ज़िला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही
2. पाबूदेवी पत्नी उम्मेदजी, जाति-पुरोहित, निवासी-वाटेरा, तह. पिण्डवाडा, जिला-सिरोही

(20) **पंचायत निगरानी संख्या: 167/2020**

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही
2. मंजूदेवी पत्नी पुखराज, जाति- माली, निवासी-वाटेरा, तह. पिण्डवाडा, जिला-सिरोही

(21) **पंचायत निगरानी संख्या: 179/2020**

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही
2. रम्भादेवी पत्नी जीवाराम, जाति-घांची, निवासी-वाटेरा, तह. पिण्डवाडा, जिला-सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:10:15 IST
Reason: SelfAttested

.......पेज पांच

सिरोही

(22) पंचायत निगरानी संख्या: 189/2020

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही
2. मगनीदेवी पत्नी सुजाराम, जाति-घांची, निवासी-भीमाना, तह. पिण्डवाडा, जिला-सिरोही

(23) पंचायत निगरानी संख्या: 198/2020

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही
2. तुलसीदेवी पत्नी गुलाबचंद, जाति-माली, निवासी-वाटेरा, तह. पिण्डवाडा, जिला-सिरोही

(24) पंचायत निगरानी संख्या: 203/2020

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही
2. गेरीदेवी पत्नी दुर्गाशंकर, जाति-माली, निवासी-वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा

(25) पंचायत निगरानी संख्या: 206/2020

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही
2. बदी पत्नी रामाराम जी, जाति-घांची, निवासी-वाटेरा, तह. पिण्डवाडा, जिला-सिरोही

(26) पंचायत निगरानी संख्या: 207/2020

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही
2. भावना देवी पत्नी सुरेश कुमार, जाति-[illegible]ावी, निवासी- वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा

(27) पंचायत निगरानी संख्या: 208/2020

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:10:15 IST
Reason: SelfAttested

....पेज छः

जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही
2. बबीदेवी पत्नी गजाराम, जाति- जणवा, निवासी-वाटेरा, तह. पिण्डवाडा, जिला-सिरोही

(28) **पंचायत निगरानी संख्या: 209/2020**

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही
2. मंजूदेवी पत्नी मीठालाल, जाति- माली, निवासी-वाटेरा, तह. पिण्डवाडा, जिला-सिरोही

(29) **पंचायत निगरानी संख्या: 215/2020**

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही
2. चम्पा पत्नी प्रकाश, जाति-घांची, निवासी-वाटेरा, तह. पिण्डवाडा, जिला-सिरोही

''निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994''

उपस्थिति:

1. श्री नटवर लाल, सहायक विकास अधिकारी, कलक्टर कार्यालय, सिरोही
2. श्री दुर्गेश कुमार, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, वाटेरा

-: निर्णय :- **दिनांक 18 मार्च, 2021**

(1) संक्षिप्त में इन प्रकरणों के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा द्वारा उपर्युक्त अनवान के अलग-अलग निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन करने के संबंध में पारित प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 05.6.2017 एवं इस प्रस्ताव के अनुसरण में अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में जारी पट्टा विलेख संख्या क्रमशः 22086 दिनांक 08.6.2017, 22091 दिनांक 08.6.2017, 22092 दिनांक 8.6.2017, 22099 दिनांक 08.6.2017, 29602 दिनांक 08.6.2017, 29607 दिनांक 08.6.2017, 29608 दिनांक 08.6.2017, 29610 दिनांक 08.6.2017, 29615 दिनांक 08.6.2017, 29623 दिनांक 08.6.2017, 29628 दिनांक 08.6.2017, 29629 दिनांक 08.6.2017, 29636 दिनांक 08.6.2017, 29637 दिनांक 08.6.2017, 29638 दिनांक 08.6.2017, 29640 दिनांक 08.6.2017, 29641 दिनांक 08.6.2017, 29642 दिनांक 08.6.2017, [illegible] दिनांक [illegible], [illegible] दिनांक 08.6.2017, 29663 दिनांक 08.6.2017, 29673 दिनांक 08.6.2017, 29682 दिनांक 08.6.2017, 29688

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:10:15 IST
Reason: SelfAttested

....पेज सात

जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

पंचायत निगरानी संख्या: 105/2020, 109/2020, 110/2020, 117/2020, 120/2020, 125/2020, 126/2020, 128/2020, 132/2020, 140/2020, 145/2020, 146/2020, 153/2020, 154/2020, 155/2020, 157/2020, 158/2020, 159/2020, 163/2020, 167/2020, 179/2020, 189/2020, 198/2020, 203/2020, 206/2020, 207/2020, 208/2020, 209/2020, 215/2020

दिनांक 08.6.2017, 29691 दिनांक 08.6.2017, 29692 दिनांक 08.6.2017, 29693 दिनांक 08.6.2017, 29694 दिनांक 08.6.2017 व 29700 दिनांक 08.6.2017 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किये गये है।

(2) प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्ड्वाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त निगरानी आवेदन जिला कलक्टर न्यायालय, सिरोही के क्षेत्राधिकार के होने से जिला कलक्टर न्यायालय, सिरोही में प्रस्तुत किये गये। जिला कलक्टर, सिरोही के आदेश क्रमांक:कोर्ट/2020/742-43 दिनांक 20.10.2020 से उक्त निगरानी आवेदन इस न्यायालय को सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किये जाने पर इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किये जाकर इन सभी निगरानी प्रकरणों में अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाकर तामिल करवाये गये। इन सभी प्रकरणों में अप्रार्थी संख्या-2 को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी इस न्यायालय में उपस्थित नही होने एवं अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से जवाब भी प्रस्तुत नही होने के कारण इन सभी प्रकरणों में अप्रार्थी संख्या-2 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। इन प्रकरणों में अप्रार्थी संख्या-1 (सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा) को नोटिस की तामिल होने पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 12.3.2021 को श्री दुर्गेश कुमार, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, वाटेरा ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर अलग अलग जवाब प्रस्तुत किये।

(3) उक्त सभी निगरानी प्रकरण समान तथ्यों एवं समान कानूनी बिन्दुओं पर आधारित होने एवं ये सभी निगरानी प्रकरण ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा जारी पट्टा विलेखों से संबंधित होने के कारण इन सभी निगरानी प्रकरणों में संयुक्त रुप से बहस सुनी जाकर इन प्रकरणों का एक ही निर्णय के द्वारा गुणावगुण पर निस्तारण किया जा रहा है।

(4) इन सभी प्रकरणों में दिनांक 12.3.2021 को श्री नटवर लाल, सहायक विकास अधिकारी, कलक्टर कार्यालय, सिरोही व ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, वाटेरा की बहस सुनी गई। बहस के दौरान श्री नटवर लाल, सहायक विकास अधिकारी, कलक्टर कार्यालय, सिरोही ने निगरानी आवेदनों में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत अप्रार्थी संख्या-2 को रियायती दर पर भूखण्ड का आवंटन करने के संबंध में प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 05.6.2017 को पारित करते हुए इस प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 05.6.2017 के अनुसरण में अप्रार्थी संख्या-2 को रियायती दर पर पट्टा विलेख जारी किये गये है लेकिन अप्रार्थी संख्या-2 रियायती दर पर भूखण्ड प्राप्त करने की पात्रता [illegible] है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 [illegible] 300 वर्गगज तक की भूमि अनुसूचित जाति/जनजाति, [illegible] वर्ग के सदस्यों, कारीगरों, श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन [illegible] में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर

....पेज आठ

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:10:15 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

पंचायत निगरानी संख्या: 105/2020, 109/2020, 110/2020, 117/2020, 120/2020, 125/2020, 126/2020, 128/2020, 132/2020, 140/2020, 145/2020, 146/2020, 153/2020, 154/2020, 155/2020, 157/2020, 158/2020, 159/2020, 163/2020, 167/2020, 179/2020, 189/2020, 198/2020, 203/2020, 206/2020, 207/2020, 208/2020, 209/2020, 215/2020

जनजातियों, गाडिया लुहारों या जिनके आवास बाढ के कारण बह गये है व भविष्य में रहने योग्य नही रहे है को रियायती दर पर/नि:शुल्क आवंटन कर सकेगी। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर के परिपत्र संख्या एफ. 4()पीसी/पराविं/आबादी पट्टा/2009/96 दिनांक 06.1.2020 में स्पष्ट किया है कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत कमजोर वर्गो को रियायती दर पर/नि:शुल्क भूखण्ड् आवंटन का प्रावधान है एवं बीपीएल सेन्सस 2002 के सर्वे में ऐसे परिवार जिनके पास राज्य में कोई भूखण्ड या मकान नही है और वे इस नियम में भूखण्ड पाने के पात्र है। पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर के परिपत्र संख्या एफ.4(1)पराविं/पीसी/आभू/2004/597 दिनांक 18.6.2004 में स्पष्ट किया है कि पात्र परिवार की वार्षिक आय 20,000/- (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) से अधिक नही हो। ग्राम पंचायत, वाटेरा ने अप्रार्थी संख्या-2 के वार्षिक आय का प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना ही एवं अप्रार्थी संख्या-2 का राज्य में कहीं पर भी आवासीय मकान या आवासीय भूखण्ड् है या नही, की जांच किये बिना ही रियायती दर पर/नि:शुल्क भूखण्ड् का आवंटन करते हुए पट्टे जारी किये है, जो विधि अनुरुप नही है। यह कि ग्राम पंचायत, वाटेरा को आबादी विस्तार हेतु आवंटित भूमि का राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 142 के तहत प्लान तैयार किये बिना ही पट्टे जारी किये है। ग्राम पंचायत, वाटेरा ने राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों से आबादी विस्तार हेतु आवंटित आबादी भूमि का सीमाज्ञान भी नही करवाया है। ग्राम पंचायत, वाटेरा ने राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के प्रदत्त प्रावधानों का पालन किये बिना ही अपात्र व्यक्तियों को रियायती दर पर भूखण्ड् का आवंटन कर पट्टा जारी किया है, जबकि अप्रार्थी संख्या-2 रियायती दर पर भूखण्ड् प्राप्त करने की पात्रता नही रखते है जिसकी पुष्टि इन प्रकरणों में प्रस्तुत श्री केतन ओझा, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, श्री हीराराम, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा व श्री चुन्नीलाल, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा की संयुक्त जांच रिपोर्ट से स्पष्ट होता है। अत: इन निगरानी आवेदनों को स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में रियायती दर पर भूखण्ड् के जारी पट्टा विलेखों को निरस्त किया जावे। बहस के दौरान ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, वाटेरा ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए सहायक विकास अधिकारी, कलक्टर कार्यालय, सिरोही के कथनों की ताईद की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:10:15 IST
Reason: SelfAttested

(5) इन प्रकरणों में सुनी गई [illegible] पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावलियों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा पंचायत बैठक दिनांक [illegible] पारित कर अप्रार्थी संख्या-2 को राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर भूखण्ड्

....पेज नौ

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

पंचायत निगरानी संख्या: 105/2020, 109/2020, 110/2020, 117/2020, 120/2020, 125/2020, 126/2020, 128/2020, 132/2020, 140/2020, 145/2020, 146/2020, 153/2020, 154/2020, 155/2020, 157/2020, 158/2020, 159/2020, 163/2020, 167/2020, 179/2020, 189/2020, 198/2020, 203/2020, 206/2020, 207/2020, 208/2020, 209/2020, 215/2020

आवंटन करने का निर्णय लेते हुए इस प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 05.6.2017 के अनुसरण में अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन के पट्टा विलेख संख्या क्रमशः 22086 दिनांक 08.6.2017, 22091 दिनांक 08.6.2017, 22092 दिनांक 08.6.2017, 22099 दिनांक 08.6.2017, 29602 दिनांक 08.6.2017, 29607 दिनांक 08.6.2017, 29608 दिनांक 08.6.2017, 29610 दिनांक 08.6.2017, 29615 दिनांक 08.6.2017, 29623 दिनांक 08.6.2017, 29628 दिनांक 08.6.2017, 29629 दिनांक 08.6.2017, 29636 दिनांक 08.6.2017, 29637 दिनांक 08.6.2017, 29638 दिनांक 08.6.2017, 29640 दिनांक 08.6.2017, 29641 दिनांक 08.6.2017, 29642 दिनांक 08.6.2017, 29646 दिनांक 08.6.2017, 29650 दिनांक 08.6.2017, 29663 दिनांक 08.6.2017, 29673 दिनांक 08.6.2017, 29682 दिनांक 08.6.2017, 29688 दिनांक 08.6.2017, 29691 दिनांक 08.6.2017, 29692 दिनांक 08.6.2017, 29693 दिनांक 08.6.2017, 29694 दिनांक 08.6.2017 व 29700 दिनांक 08.6.2017 को जारी किये गये है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158(1) के अनुसार पंचायत, गांव आबादियों में 3000 वर्गगज तक कि आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछडा वर्ग के सदस्यों को, गांव कारीगरों, श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाडियों लुहारों को जिनके पास स्वयं के गृहस्थल/गृह नही है और ऐसे बाढग्रस्तों को भी जिनके गृह बह गये है या गृह स्थल बाढ़ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये है, को रियायती दरों पर आवंटन कर सकेगी।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा के आदेश क्रमांक:राजस्व/2016/208 दिनांक 11.3.2016 के द्वारा ग्राम पंचाययत, वाटेरा को ग्राम वाटेरा के खसरा संख्या 382, 697, 1148 किस्म क्रमशः गै.मु. पहाड, गै.मु. पत्थर, गै.मु. पत्थर में से रकबा क्रमशः 5.00 बीघा, 1.12 बीघा व 0.07 बीघा भूमि आबादी विस्तार हेतु आवंटित की गई थी। उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा के इस आवंटन आदेश की शर्त संख्या-3 के अनुसार अतिक्रमण शुदा कब्जे की भूमि को बाजार दर पर राशि जमा कराने पर ही आबादी के लिये ग्राम पंचायत विक्रय कर पट्टा जारी करेगी, अन्यथा अतिक्रमियों को मौके से बेदखल कर दिया जायेगा। इस आवंटन आदेश की शर्त संख्या-4 के अनुसार यदि ग्राम पंचायत रियायती दर पर पट्टा देने का निर्णय लेती है तो अतिक्रमियों के पास आवास है या नही, आय आदि के बारे में ग्राम पंचायत की समिति में ग्रामसेवक व पटवारी (मौका रिपोर्ट वाली समिति में) शामिल कर निर्णय कर ही नियमानुसार पट्टे जारी किये जा सकेंगे। आवंटन आदेश की शर्त संख्या-6 के अनुसार पंचायत आबादी भूमि के भूखण्डों का नक्शा

....पेज दस

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:10:15 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

पंचायत निगरानी संख्याः 105/2020, 109/2020, 110/2020, 117/2020, 120/2020, 125/2020, 126/2020, 128/2020, 132/2020, 140/2020, 145/2020, 146/2020, 153/2020, 154/2020, 155/2020, 157/2020, 158/2020, 159/2020, 163/2020, 167/2020, 179/2020, 189/2020, 198/2020, 203/2020, 206/2020, 207/2020, 208/2020, 209/2020, 215/2020

प्लान तैयार कर ग्राम सभा से अनुमोदन कराना होगा। पंचायती राज अधिनियम व उसके अर्न्तगत बने नियमों के अनुसार भूखण्ड पाने की पात्रता रखते है, उन्हें नियमानुसार भूखण्ड आवंटन किये जा सकेगें। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज श्री केतन ओझा, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, श्री हिराराम, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा व श्री चुन्नीलाल, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा की संयुक्त जांच रिपोर्ट की छायाप्रति के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, वाटेरा ने आबादी विस्तार हेतु आवंटित भूमि का नक्शा प्लान तैयार नही किया है। ग्राम पंचायत, वाटेरा के पास ऐसा कोई प्लान नक्शा उपलब्ध नही है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि कौन से खसरा संख्या नंबर में कौनसा पट्टा विलेख जारी किया है, जो उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा के उक्त आवंटन आदेश दिनांक 11.3.2016 की शर्त संख्या-6 का उल्लंघन है। उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा के उक्त आवंटन आदेश की शर्त संख्या-4 के अनुसार यदि ग्राम पंचायत रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन का निर्णय लेती है तो इन व्यक्तियों/अतिक्रमियों के पास आवास है या नही, आय आदि के बारे में ग्राम पंचायत की समिति में ग्रामसेवक व पटवारी को (मौका रिपोर्ट लेने वाली समिति में) शामिल किया जाकर ही नियमानुसार पट्टे जारी किये जा सकेंगे, लेकिन ग्राम पंचायत, वाटेरा ने उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा के इस आवंटन आदेश की शर्त संख्या-4 की भी पालना नही की है। इससे, यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, वाटेरा ने आबादी विस्तार हेतु आवंटित भूमि का नक्शा प्लान तैयार करवाये बिना ही एवं राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत अप्रार्थी संख्या-2 के रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन की पात्रता की जांच किये बिना ही रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन के पट्टा विलेख जारी किये है, जो विधि सम्मत नही है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज श्री केतन ओझा, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, श्री हिराराम, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा व श्री चुन्नीलाल, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा की संयुक्त जांच रिपोर्ट की छायाप्रति के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि रेबारी समाज के व्यक्तियों के पुराने आवास बने हुये है, परन्तु उनको राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत पट्टे जारी किये गये है, जबकि इन्हें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के तहत पट्टे जारी करने थे।

अतः प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा द्वारा प्रस्तुत इन सभी निगरानी आवेदनों को स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन के संबंध में पारित प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 05.6.2017 एवं इस प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 05.6.2017 के अनुसरण में अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में जारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:10:15 IST
Reason: SelfAttested

.....पेज ग्यारह

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

<u>पंचायत निगरानी संख्या: 105/2020, 109/2020, 110/2020, 117/2020, 120/2020, 125/2020, 126/2020, 128/2020, 132/2020, 140/2020, 145/2020, 146/2020, 153/2020, 154/2020, 155/2020, 157/2020, 158/2020, 159/2020, 163/2020, 167/2020, 179/2020, 189/2020, 198/2020, 203/2020, 206/2020, 207/2020, 208/2020, 209/2020, 215/2020</u>

पट्टा विलेख संख्या क्रमशः 22086 दिनांक 08.6.2017, 22091 दिनांक 08.6.2017, 22092 दिनांक 08.6.2017, 22099 दिनांक 08.6.2017, 29602 दिनांक 08.6.2017, 29607 दिनांक 08.6.2017, 29608 दिनांक 08.6.2017, 29610 दिनांक 08.6.2017, 29615 दिनांक 08.6.2017, 29623 दिनांक 08.6.2017, 29628 दिनांक 08.6.2017, 29629 दिनांक 08.6.2017, 29636 दिनांक 08.6.2017, 29637 दिनांक 08.6.2017, 29638 दिनांक 08.6.2017, 29640 दिनांक 08.6.2017, 29641 दिनांक 08.6.2017, 29642 दिनांक 08.6.2017, 29646 दिनांक 08.6.2017, 29650 दिनांक 08.6.2017, 29663 दिनांक 08.6.2017, 29673 दिनांक 08.6.2017, 29682 दिनांक 08.6.2017, 29688 दिनांक 08.6.2017, 29691 दिनांक 08.6.2017, 29692 दिनांक 08.6.2017, 29693 दिनांक 08.6.2017, 29694 दिनांक 08.6.2017 व 29700 दिनांक 08.6.2017 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण ग्राम पंचायत, वाटेरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि ग्राम पंचायत, वाटेरा आबादी विस्तार हेतु आवंटित भूमि का नक्शा प्लान तैयार करवाकर अनुमोदन करवाये। उसके बाद अप्रार्थी संख्या-2 के राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर भूखण्ड प्राप्त करने की पात्रता की जांच करे कि उक्त नियम 158 में वर्णित श्रेणी का अप्रार्थी संख्या-2 व्यक्ति है अथवा नही? अप्रार्थी संख्या-2 के पास आवास हेतु मकान या भूखण्ड उपलब्ध है अथवा नही? एवं अप्रार्थी संख्या-2 की आय की भी जांच करे। यदि जांच में अप्रार्थी संख्या-2 रियायती दर पर भूखण्ड प्राप्त करने का पात्र व्यक्ति होना पाया जाता है तो उन्हें पुनः नियमानुसार भूखण्ड आवंटन करने की कार्यवाही करे। साथ ही, ग्राम पंचायत, वाटेरा को यह भी निर्देश दिये जाते है कि यदि अप्रार्थी संख्या-2 का ग्राम वाटेरा में पुराना आवासीय गृह बना हुआ है तो राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के तहत उसे पट्टा विलेख जारी करने की कार्यवाही करे। निर्णय सुनाया गया। इस निर्णय की मूल प्रति पंचायत निगरानी संख्या 105/2020 की पत्रावली के साथ रखी जावे एवं अन्य प्रकरणों की पत्रावलियों में इस निर्णय की छाया प्रति रखी जावे।

18/3/2021

(गितेश श्री मालवीया)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही

अति० जिला कलेक्टर सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:10:15 IST
Reason: SelfAttested